

सुरोगेसी वधियक (नयिमन), 2016 में आधिकारिक संशोधन

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुरोगेसी (नयिमन) वधियक, 2016 में आधिकारिक संशोधन हेतु स्वीकृति दी है। सुरोगेसी (नयिमन) वधियक, 2016 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरोगेसी बोर्ड, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य सुरोगेसी बोर्ड तथा उचित प्राधिकरण स्थापित करके सुरोगेसी को नयिमों के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्तावित वधियक में सुरोगेसी का कारगर नयिमन, वाणज्यिक सुरोगेसी नषिध तथा प्रजनन क्षमता से वंचित भारतीय दंपतियों को परोपकारी सुरोगेसी की अनुमति सुनिश्चित की गई है।
- इस वधियक के संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रीय सुरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के तीन महीने के भीतर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश राज्य सुरोगेसी बोर्ड और राज्य का उचित प्राधिकरण गठित करेंगे।

इसका प्रभाव क्या होगा?

- इन संशोधनों के प्रभावी होने पर यह अधिनियम देश में सुरोगेसी (करिए की कोख) सेवाओं का नयिमन करेगा, सुरोगेसी में अनैतिक व्यवहारों को नयितरति करेगा, करिए की कोख का वाणज्यिकीकरण रोकेगा और सुरोगेसी से माँ बनने वाली महिलाओं एवं सुरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चों का संभावित शोषण रोकेगा।
- वाणज्यिक सुरोगेसी नषिध में मानव भ्रूण तथा युगमक की खरीद और बिक्री जैसे पक्षों को शामिल किया गया है।
- इसके अतिरिक्त प्रजनन क्षमता से वंचित दंपतियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये नषिधित शर्तों को पूरा करने पर तथा वषिष उद्देश्यों के लिये नैतिक सुरोगेसी की भी अनुमति दी जाएगी।
- इससे नैतिक सुरोगेसी सुवधि के इच्छुक प्रजनन क्षमता से वंचित विवाहित दंपतियों को लाभ होगा।
- इसके अतिरिक्त सुरोगेसी से माता बनने वाली महिलाओं और सुरोगेसी से जन्म लेने वाले बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी।
- यह वधियक जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा।

पृष्ठभूमि

- विभिन्न देशों से दंपत भारत आते हैं और भारत सुरोगेसी केंद्र के रूप में उभरा है। लेकिन अनैतिक व्यवहारों, सुरोगेसी प्रक्रिया से माता बनने वाली महिलाओं का शोषण, सुरोगेसी प्रक्रिया से जन्म लेने वाले बच्चों का परतियाग और मानव भ्रूण तथा युगमक लेने में बचौलियों की धोखाधड़ी की घटनाएँ चर्चित हैं।
- भारत के वधिआयोग की 228वीं रिपोर्ट में वाणज्यिक सुरोगेसी के नषिध और उचित वधियी कार्य द्वारा नैतिक परोपकारी सुरोगेसी की अनुमति की सफारिश की गई है।
- सुरोगेसी (नयिमन) वधियक 21 नवंबर, 2016 को लोकसभा में पेश किया गया, जसि 12 जनवरी, 2017 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संसद की स्थायी समिति को भेजा गया।
- संसद की स्थायी समिति द्वारा हतिधारकों, केंद्र सरकार के मंत्रालय/वधिगों, स्वयंसेवी संगठनों, चकितिसा क्षेत्र के पेशेवर लोगों, वकीलों, शोधकर्त्ताओं, परवरत्क अभिभावकों तथा सुरोगेसी से माता बनने वाली महिलाओं के साथ वधिार-वमिरश किया गया और उनके सुझाव प्राप्त किये गए।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति की 102वीं रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में एक साथ 10 अगस्त, 2017 को पटल पर रखी गई।

सुरोगेसी क्या है?

- सुरोगेसी एक महिला और एक दंपत के बीच का एक समझौता है, जो अपनी स्वयं की संतान चाहता है।
- सामान्य शब्दों में सुरोगेसी का अर्थ है कशिशु के जन्म तक एक महिला की 'करिए की कोख'। प्रायः सुरोगेसी की मदद तब ली जाती है जब कसिी दंपत को बच्चे को जन्म देने में कठनाई आ रही हो।
- बार-बार गर्भपात हो रहा हो या फरि बार-बार आईवीएफ तकनीक असफल हो रही हो। जो महिला कसिी और दंपत के बच्चे को अपनी कोख से जन्म देने को तैयार हो जाती है उसे 'सुरोगेट मदर' कहा जाता है।
- भारत में सुरोगेसी का खर्चा अन्य देशों से कई गुना कम है और साथ ही भारत में ऐसी बहुत सी महिलाएँ उपलब्ध हैं जो सुरोगेट मदर बनने को आसानी से

तैयार हो जाती हैं।

- गर्भवती होने से लेकर डिलीवरी तक महिलाओं की अच्छी तरह से देखभाल तो होती ही है, साथ ही उन्हें अच्छी-खासी धनराशि भी दी जाती है।
- सरोगेसी की सुवधा कुछ वशिष एजेंसियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इन एजेंसियों को आर्ट क्लीनिक कहा जाता है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के दशा-नरिदेशों पर अमल करती हैं।

सरोगेसी बलि, 2016

- वर्ष 2002 से लागू सरोगेसी बलि के बाद सरोगेसी पर रोक लगाने का प्रावधान था, लेकिन यह प्रतर्बिध केवल वदिशी सरोगेसी पर लगाया गया था। पहले कुछ अस्पताल ऐसी महिलाओं के संपर्क में रहते थे, जो पैसे लेकर किसी और के बच्चे को जन्म देने के लिये तैयार होती हैं।
- इस व्यापारिक धंधे को नयित्रण में लाने के लिये केंद्र सरकार ने सरोगेसी का नया बलि पेश किया था, जिसके अनुसार सरोगेट मदर को पहले से ही शादीशुदा होना और एक बच्चे की माँ होना भी ज़रूरी था।
- सरोगेट मदर बच्चे को जन्म देने के बाद उसके संपर्क में रह सकती थी। साथ ही अववाहति दंपती, एकल माता-पति, लवि-इन पार्टनर और समलैंगिक लोगों को सरोगेसी सेवाएँ न देने का प्रस्ताव था।
- 2016 के बलि के अनुसार, दंपती के लिये खुद को प्रसव के लिये अक्षम साबति करना और भारतीय होना अनवार्य था। सरोगेट माँ को दंपती का करीबी रशितेदार होना भी ज़रूरी था।
- दंपती की शादी को कम-से-कम 5 साल पूरे हुए हों और पत्नी की उम्र 25 से 50 साल तथा पति की उम्र 26 से 65 तय की गई थी। स्वास्थ्य को प्राथमकता देते हुए सरोगेट मदर की उम्र 25 से 35 साल तय की गई थी।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cabinet-approves-moving-official-amendments-in-the-surrogacy-regulation-bill-2016>

